न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—32/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/173)

1. बनवारी पुत्र श्री कालूराम, जाति अहीर निवासी ग्राम अहीर भगोला तहसील मुण्डवर जिला अलवर (मृतक)
   1/1. हरिसिह पुत्र बनवारी,
   1/2. रमेश कुमार पुत्र बनवारी,
   1/3. उगंता पुत्री बनवानी पत्नी राजकुमार जातियान अहीर निवासीयान ग्राम शीलगांव तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सोमदत्त पुत्र नत्थूराज, जाति कुम्हार निवासी ग्राम शीलगांव तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
2. तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—
1. श्री अनिल कुमार गुप्ता एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री जर्नादन शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.05.2024

अपीलार्थी, द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2012 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि अपीलान्ट को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर मुण्डावर द्वारा दिनांक 03.12.1976 को विवादित आराजी खरा नम्बर 347 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा (0.78 ऐयर) आवंटित की जाकर मौके पर दखल दिया गया था उसके पश्चात् विधि विरूद्ध तरीक से दिनांक 27.10.1977 को विवादित आराजी पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी गई, जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई, जो अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2012 के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से खारिज कर दी गई। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड से यह बखूबी साबित था कि अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 347 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम शीलगांव आवंटित की जाकर मौके पर दखल दिया गया था तथा रेस्पोडेन्ट को जो विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 27.10.1977 को किया है वह कतई विधि विरूद्ध है चूँकि अपीलान्ट को किया गया आवंटन आदेश आज दिनांक तक किसी भी विभाग/अधिकारी/न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया। उसके पश्चात् भी अपीलान्ट की अपील खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल कारित की है, जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है।

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अपीलान्ट आज तक आवंटित शुदा आराजी पर काबिज काश्त है तथा अपनी रिहायश की हुई है तथा आज तक मौके पर दाखिल चला आ रहा है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी काफी जिसमानी मेहनत करके काबिल काश्त बनायी है जिससे स्पष्ट था कि रेस्पोडेन्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा व काश्त किसी प्रकार का नही है ओर ना ही किसी प्रकार से उनका विवादित आराजी से सम्बन्ध व सरोकार, वास्ता रहा है। उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर गौर किये ही अपीलान्ट अपील को खारिज किया गया है, जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है एवं हर दो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर मुण्डावर द्वारा किया गया पुनः आवंटन आदेश दिनांक 27.07.1977 अपीलान्ट के पीछे बिना कोई नोटिस जारी किये ही बाला–बाला जारी किया गया था जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी तथा जब जानकारी हुई तो अपीलान्ट ने तुरन्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर दी जिसे साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जिसमें विलम्ब के सम्बन्ध में समुचित कारण भी अंकित किये गये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बैजा तौर पर अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर मानते हुये खारिज की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर नरमी का रूख अपना कर अपना निर्णय मैरिट के आधार पर करना चाहिये था जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2012 काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त का आवंटन दिनांक 03.12.1976 को किया गया है जो आवंटन आज दिनांक तक प्रभावी है और कानूनन जब तक उक्त आवंटन सक्षम अधिकारी द्वारा विधि सम्मत तरीके से निरस्त नही किया जाता, और अपीलान्ट को मौके से भौतिक रूप से बेदखल नही किया जाता तब तक अन्य कोई आदेश कानूनन जारी ही नही किये जा सकते। उन्होने यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट को भूमि विवादग्रस्त के आवंटन के समय भूमि वरवक्त आवंटन खाली ही नही थी, और ना ही आवंटन किये जाने वाली आराजी की सूची में थी और ना ही भूमि आरक्षित थी। उन सभी कानूनी बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट के पास एकमात्र विवादित आराजी है जिससे उसका व उसके परिवार का पालना–पोषण होता है तथा विवादित आराजी में ही अपीलान्ट ने अपनी रिहायश की हुई है मकानात बना रखे है तथा उक्त हर दौ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड़ में रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को जबरन बेदखल कर आराजी को मुन्तकिल करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर हर दो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायाालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2012 एवं तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑकिसर मुण्डावर (अलवर) द्वारा पारित किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27.10.1977 निरस्त फरमाये जावें।

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नही है बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता को भूमि विधिवत आवंटित होने के समय से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि विधिवत रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट कभी भी उक्त आराजी पर काबिज काश्त नही रहा है तथा अपीलान्ट द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 27.10.1977 के विरूद्ध 29.07.2010 को करीब 33 वर्ष पश्चात् असाधारण विलम्ब से मियाद बाहर अपील पेश की गई थी तथा उक्त विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण भी नही बताया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य ही थी। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का पूर्ण रूप से परीक्षण उपरान्त गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2012 पारित किया गया है जिसमें किसी पकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2012 में अपीलान्ट द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नही किये जाना अंकित करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में सन्तोषजनक कारण नही होना बताते हुए अपील खारिज की गई है जबकि अपीलार्थी भूमि विवादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा बताकर आये है साथ ही दूसरी ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भूमि विवादग्रस्त पर स्वयं का कब्जा बता रहे है साथ अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दोनों पक्षकार भूमि विवादग्रस्त का आवंटन अपने पक्ष में होना बता रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में विस्तृत जॉच किये जाने के पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2012 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है तथा प्रकरण विस्तृत जॉच हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2012 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर जॉच पश्चात् पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

1. क्या मियाद के बिन्दु पर माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा जारी नजीरों के आलौक में नरमी का रूख अपनाया जाकर प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जा सकता है अथवा नही ?
2. क्या एक आवंटन आदेश को निरस्त किये बगैर दूसरा आवंटन नियमानुसार किया जा सकता है अथवा नही ?

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

3. प्रकरण में मौका कमिश्नर के माध्यम से कब्जा रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है अथवा नही ? यदि कमिश्नर रिपोर्ट में आवंटियों का कब्जा आवंटन आदेशों के अनुसार नही पाया जाता है तथा आवंटन तथ्यों को तोड–मरोड़ कर एवं नियमों के विपरित किया जाना पाये जाने पर क्या प्रकरण में भू राजस्व अधिनियम की धारा 14(4) के तहत कार्यवाही कर आवंटन निरस्त किया जा सकता है अथवा नही एवं क्या भूमि का राजकीय प्रयोजन हेतु उपयोग/उपभोग किया जा सकता है अथवा नही?

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।